

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर। निविदा सूचना

जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में स्थापित कम्प्यूटर में लगने वाले यू०पी०एस० हेतु 144अदद बैट्रियॉ एक्साइड अथवा वांटा की (12वोल्ट 26ए०एच०) जिसकी कम से कम दो वर्ष की आनसाइट वारंटी (Onsite Warranty) हो, के बाई बैंक स्कीम के अन्तर्गत क्य हेतु तथा पुरानी बैट्री (12वोल्ट 26ए०एच०) की 144 बैट्री को खरीदने के लिए अलग-अलग प्रकार से सीलबन्द निविदायें पंजीकृत/अधिकृत फर्म से निर्धारित फार्म पर दिनांक—27.01.2016 को 12.00बजे तक आमंत्रित की जाती है। नियत समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त निविदायें उसी दिन समय 1.00 बजे केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में क्य समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ धरोहर धनराशि रु० 5000/- (पैंच हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट जो "जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर के नाम देय" हो, संलग्न करना अनिवार्य है। जो निविदायें स्वीकृत नहीं होगी उनकी धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उसी दिन या अगले कार्य दिवस में निविदाकर्ता को वापस कर दी जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल बेबसाइट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) एवं जनपद न्यायालय सुलतानपुर की आफिसियल बेबसाइट [ecourts.gov.in/sultanpur](http://ecourts.gov.in/sultanpur) पर निविदा फार्म, निविदा के नियम व शर्तें उपलब्ध हैं तथा निविदा सूचना नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय, सुलतानपुर पर भी उपलब्ध है।

(प्रमोद कुमार-II)  
सदस्य, क्य समिति/  
प्रधान न्यायाधीश, पारिंन्याया  
सुलतानपुर।

(सूबेदार यादव)  
सदस्य क्य समिति/  
स्पेशल जज(इ०सी०एक्ट)  
सुलतानपुर।

(बबू सारग)  
अध्यक्ष, क्य समिति/  
अपर जिला जज, कोर्ट सं०३,  
सुलतानपुर।

### प्रतिलिपि:-

- माननीय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।
- नोडल आफिसर, जिला न्यायालय सुलतानपुर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आफिसियल बेबसाइट एवं जनपद न्यायालय सुलतानपुर के आफिसियल बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- केन्द्रीय नाजिर को सार्वजनिक स्थलों एवं नोटिसबोर्ड पर चरणा कराने हेतु।

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

बाई बैंक स्कीम के अन्तर्गत यू०पी०एस० बैट्री कय हेतु  
निविदा के नियम एवं शर्तेः—

1. पुरानी निष्प्रयोज्य बैट्रियों को किसी भी कार्य दिवस में नजारत से सम्पर्क कर देखा जा सकता है।
2. निविदा रखीकृत किये जाने की दशा में बैट्री आपूर्तिकर्ता को जनपद न्यायालय सुलतानपुर में बैट्रियों को स्वयं के व्यय पर पहुंचाकर उच्छेण यथास्थान स्थापित करना होगा तथा पुरानी निष्प्रयोज्य बैट्रियों को अपने व्यय पर ले जाना होगा।
3. आपूर्ति की जाने वाली बैट्रियों की न्यूनतम दो वर्ष आनसाइट वारण्टी होना अनिवार्य है।
4. निविदाकर्ता को बैट्री का मूल्य, उसका माडल एवं ब्राण्ड का नाम निविदा में अंकित करना एवं धरोहर धनराशि रु० 5000/- (पाँच हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट जो “जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर के नाम देय” हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर को यह अधिकार है कि वह निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र जनपद न्यायालय, सुलतानपुर होगा।

(प्रमोद कुमार-II)  
सदस्य, कय समिति/  
प्रधान न्यायाधीश, पारिन्याया०  
सुलतानपुर।

Hyderabad  
21/01/2016  
(सूबेदार योदव)  
सदस्य कय समिति/  
स्पेशल जज (ई०सी०एक्ट)  
सुलतानपुर।

(बबू सारंग)  
अध्यक्ष, कय समिति/  
अपर जिला जज, कोर्ट सं०३,  
सुलतानपुर।

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

बाईं बैंक स्कीम के अन्तर्गत यू०पी०एस०बैंट्री एक्साइड अथवा क्वांटा की  
(12वोल्ट 26एच०) क्य हेतु आवेदन पत्र/निविदा प्रपत्र

निविदा स्थान— केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।

निविदा तिथि—27 जनवरी 2016 समय अपराह्न 1.00 बजे

1. निविदाकर्ता आवेदक/फर्म का पूरा नाम—

2. पुरानी प्रति बैट्री का मूल्य—

3. (अ) नई प्रति बैट्री का मूल्य—

(ब) माडल—

(स) ब्राण्ड का नाम—

(द) बैट्री की वारणी की अवधि—

4. बाईं बैंक प्रति बैट्री का मूल्य—

5. आवेदक/फर्म के पत्र व्यवहार का पता—

6. धरोहर धनराशि के बैंक ह्रापट का विवरण—

7. बैंक खाता विवरण—

8. मोबाइल/फोन नम्बर—

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

8  
12/1/16